दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए जाने वाले केन्द्र सरकार के प्रस्तावित कार्यालयों के ब्यौरे

क्रमांक	कार्यालय का नाम	जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	तट रक्षक मुख्यालय	नोएडा (पूर्व में गाजियाबाद में)
2	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र डाक विभाग	गाजियाबाद
3	निरीक्षण निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण सर्किल, पूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय	कोई भी डी०एम०ए० नगर
5	लाइट हाउसिस तथा लाइट शिप्स् विभाग	नोएडा
6	केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रम मंत्रालय	नोएडा
7	भुगातन आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	कोई उपयुक्त स्थान जैसे गुड़गांव
8	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद
9	के०लो०नि०वि० प्रशिक्षण संस्थान	गाजियाबाद
10	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पादकशुल्क तथा नारकोटिक्स अकादमी	फरीदाबाद
11	अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं सहकारिता विभाग	नोएडा
12	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	नोएडा

Constitution of Water and Sewerage Disposal Board

215. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an autonomous Water and Sewtrage Disposal Board is proposed to be constituted for the National Capital Territory of Delhi; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The Government has taken a decision to set up an autonomous Water Supply and Sewerage Board for the National Capital Territory of Delhi. Accordingly ,a Draft Bill has been prepared.

Demolition of Unauthorisedly Constructed Sainik Farms in Delhi

216. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has decided to declare Sainik Farms in the capital a development area and also to empower DDA to demolish all unauthorised constructions therein;

(b) if so, the details of the Sainik farms unauthorisedly constructed in the capital; and

(c) by when all such anauthorised constructions in Sainik Farms are likely to be demolished?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) Municipal Corporation of Delhi has carried out a survey of the recently and has reported more than 1300 premises which have come up unauthorisedly in the area during last 20 years.

(c) MCD has reported that its Building Department has been taking action against the unauthorised construction in the Sainik Farms from time to time depending upon the availability of police assistance. The MCD has demolished 39 buildings and 70 boundary walls since March, 1993.

Allotment of Flats under self Financing Schemes

217. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that registrants who have applied for allotment of flats under Self Financing Schemes of the Delhi Development Authority have yet not got the flats;

(b) the number of Self Financing Schemes announced by the authority so far;

(c) what is the amount collected under various Self Finaninceg Schemes by the Authority; and

(d) whether any interest is being paid to the registrants who have deposited money under SFS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. While many registrants have been allotted flats, some remain to be allotted.

(b) 8 Self Financing Schemes have been announced by DDA so far.

(c) Rs. 90.84 crores.

(d) Yes, Sir.

दिल्ली में आवासीय इकाइयां

218. **श्री रामनरेश यादव**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दिल्ली में कितनी आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होने का अनुमान है; और

(ख) दिल्ली में आवासीय इकाईयों के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली की वृहद् योजना–2001 के अनुसार, 1991–96 के दौरान अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 4.34 लाख रिहायशी इकाईयों की आवश्यकता है।

(ख) भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मकानों के निर्माण के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 8वीं योजना के अन्त तक 15-7-93 की बकाया स्थितिनुसार विभिन्न श्रेणी के मकानों हेतु 8वीं योजना अवधि के अन्त तक बकाया 73003 पंजीकृत व्यक्तियों को मकान दिए जाने की आशा है बशर्ते कि नरेला फेज 1-बी, रोहिणी फेज 4 तथा 5 में भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए और नागरीय प्राधिकरणों द्वारा मुख्य सेवाएं, जल-मल व्ययन, जलापूर्ति, जल निकास, सड़कें तथा बिजली जैसे अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं दे दी जाएं। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण का योजना अवधि के दौरान, मकानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए द्वारका में 400 सहकारी सामुहिक आवास स्थितियों को भी भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है।